प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री महेन्द्र सैन	प्रार्थीगण
2. श्री संदीप सोपारा	अप्रार्थी सं. 1
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10/02/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया है। यह कि प्रार्थीगण के नाम से सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी के खाता स.73/58 के प.न.30/351 (35) के किला न. 1, 2/1/0.202, 9/1/0.063,10 की कुल 0.771 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मौका पर प्रार्थीगण का घरू बंटवारा किया हुआ है जिसमें प्रार्थी स. 1 बृजलाल को प.न. 30/351 (35) के किला नं.1, 2/1/202 व प्रार्थी स. 2 सीताराम को प.न. 30/351 (35) के किला न. 9/1/0.063,10 प्राप्त हुई है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अप्रार्थी स. 1 ज्ञानचन्द के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी के खाता स. 56/53 के प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/2/0.048, 2/3/0.003, 3/1/0.241, 3/2/0.012, 4/1/0.241, 4/2/0.012, 5/1/0241, 9/2/0.012 की कुल 0.810 हैक. कमाण्ड मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी के प. न. 30/351 (35) के किला न.2/3/0.003, 3/2/0.012, 4/2/0.012, 5/2/0.012 में गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त रास्ता पूर्व में अप्रार्थी स.1 की खातेदारी भूमि में से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। परन्तु मौका पर उक्त गैरमुमकिन रास्ता से आवागमन सम्भव नही है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि उक्त प.न.30/351 (35) के किला न.5 के उत्तर पूर्वी दिशा में विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिस कारण उक्त रास्ता संकरा हो चुका है और विद्युत ट्रांसफार्मर होने से जान–माल की क्षति होने की सम्भावना बनी रहती है। जिससे प्रार्थीगण उक्त गैरमुमकिन रास्ता में आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/3/0.003, 3/2/0.012, 4/2/0.012, 5/2/0.012 में गैरमुमकिन रास्ता को कलमजन करवाकर प्रार्थीगण प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/0.0040, 3/0.0159, 4/0.0159, 5/0.0159 में गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बाई में दक्षिणी सींव पर उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी द्वारा अपनी–अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु परस्पर आपसी सहमति से घरेलू रास्ते हेतु छोड़ी गयी है और उक्त घरेलू रास्ता मौका पर चालु है जो स्वीकृत रास्ते में जाकर मिलता है और उक्त घरेलू रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है और अप्रार्थी द्वारा उक्त मौका पर चालु रास्ता को बन्द करने की ऐलानिया तौर बार–बार धमकी दी जा रही है व बार–बार प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन में बाधा कारित कर रहा है। इस कारण प्रार्थीगण प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/0.0040, 3/0.0159, 4/0.0159, 5/0.0159 में गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा दक्षिणी सींव पर उक्तानुसार रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) है तथा प्रार्थीगण की भूमि के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग (Alternative way) भी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त कृषि भूमि में से प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/0.0040, 3/0.0159, 4/0.0159, 15/0.0159 में गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा दक्षिणी सींव मौके पर चल रहे घरेलू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रमाणित प्रति नामान्तरण स. 220 दिनांक 24.08.2016 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से गत सप्ताह पूर्व उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवा देने का आग्रह करने पर उनके द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल हुआ है और अप्रार्थी स.2 को भू–धारक होने के कारण बतौर अप्रार्थी स. 2 संयोजित किया गया ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करवाई जा सके।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकृत किये जाने की एवज में श्रीमान् न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण रास्ता हेतु स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी. एल. सी. की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले जो भी माननीय न्यायालय आदेशित करे प्रार्थीगण, अप्रार्थी स. 1 को देने हेतू सहमत है।

यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है और उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदनं है कि प्रार्थीगण की [illegible] कृषि भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता को परस्पर जोड़ने के लिए अप्रार्थी की कृषि [illegible] ल पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी के प.न. 30/351 (35) के कि[illegible] 1/0.012, 4/2/0.012, 5/2/0.012 है. रास्ता जो उतरी सींव पर स्वीकृत [illegible] राजस्व रिकार्ड से गैरमुमकिन रास्ता कलमजन कर उक्त गैरमुमकिन रास्ता की भूमि अप्रार्थी स.1 की खातेदारी भूमि दर्ज कर प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/0.0040, 3/0.0159, 4/0.0159, 5/0.0159 में गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा दक्षिणी सींव गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे तथा वर्तमान में अप्रार्थी स. 1 की कृषि भूमि प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/0.003, व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा इस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जो भी माननीय न्यायालय अभिनिर्धारित करे प्रार्थीगण से अप्रार्थी को दिलवाया जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को पक्षिय नोटिस जारी किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 04.02.26 को स्वयम हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा उभय पक्ष को पढ़कर सुनकर स्वीकार किया गया हस्ताक्षर उभ्य पक्ष बाद पहचान राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा पक्षकारान की ओर से निम्न प्रकार से है –

यह कि प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष के नाम से सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी के खाता स. 73/58 के प.न.30/351(35) के किला न. 1, 2/1/0.202, 9/1/0.063, 10 की कुल 0.771 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण/ प्रथम पक्ष का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा मौका पर प्रार्थीगण/ प्रथम पक्ष का घराघरू बंटवारा किया हुआ है जिसमें प्रार्थी स.1 बृजलाल/प्रथम पक्ष को प. न. 30/351 (35) के किला न. 1, 2/1/0202 व प्रार्थी स. 2 सीताराम/प्रथम पक्ष को प.न.30/351 (35) के किला नं.9/1/0.063,10 प्राप्त हुई है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 लालचन्द/द्वितीय पक्ष के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी के खाता सं. 56/53 के प.न.30/351 (35) के किला न.2/2/0.048, 2/3/0.003, 3/1/0.241, 3/2/0.012, 4/1/0.241, 4/2/0.012, 5/1/0.241, 5/2/0.012 की कुल 0.810 हैक. कमाण्ड मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी के प. न.30/351 (35) के किला न. 2/3/0.0.03, 3/2/0.012, 4/2/0.012, 5/2/0. 012 में गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त रास्ता पूर्व में अप्रार्थी स. 1/द्वितीय पक्ष की खातेदारी भूमि में से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। परन्तु मौका पर उक्त गैरमुमकिन रास्ता से आवागमन सम्भव नही है क्योकि उक्त प.न.30/351(35) के किला न.5 के उतर पूर्वी दिशा मैं विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिस कारण उक्त रास्ता संकरा हो चुका है और विद्युत ट्रांसफार्मर होने से जान–माल की क्षति होने की सम्भावना बनी रहती है।

जिससे प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष उक्त गैरमुमकिन रास्ता में आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष सहमति से उक्त प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/3/0.003, 3/2/0.012, 4/2/0.012, 5/2/0.012 में गैरमुमकिन रास्ता को कलमजन करवाकर प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष प.न. 30/351 (35) के किला न. 2/0.0040, 3/0.0159, 4/0.0159, 5/0.0159 में गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बाई में दक्षिणी सींव पर उपरोक्तानुसार स्वीकृत करवाना चाहते है तथा उक्त रास्ता की चौडाई में आई अधिशेष भूमि कुल 0.0127 हैक. कृषि भूमि प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष द्वारा अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष को प.न.30/351 (35) के किला [illegible]/0.202 हैक. में से 0.0127 हैक. पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ देने हेतु सहमत है [illegible] अनुसार उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] है तो प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष को कोई उज्जर व एतराज नही है । इसी अनुसार पक्षकारान राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने व कृषि भूमि देने हेतू पूर्णतः सहमत व रजामन्द है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवान की पत्रावली को मुताबिक राजीनामा फैसला करने की कृपा करें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 67 दिनांक 04.02.26 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार –प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान् को पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता हैं जो मौके पर चालू नहीं है । चक 1 लाख आर.डी. प.नं. 30/351 कि.नं. 2/3/0.003, 3/2/0.012, 4/2/0.012, 5/2/0.012 गै.मु. रास्ता कि.नं. 5 में रास्ते के स्थान पर विद्युत विभाग की डीपी लगी हुई है। यह गै.मु. रास्ता उत्तरी सीमा पर है। प्रार्थी यही रास्ता इन्ही किलो की दक्षिणी सीमा पर स्वीकृत कराना चाहता है। रास्ते से कम दूरी प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नहीं है। रास्ते के अलावा मौके पर चालु हो प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता चालु नही है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट एवं राजीनामा उभय पक्ष का गहन अध्ययन किया गया। प्रकरण में चुंकि राजीनामा हो चुका एवं पूर्व में चालू रास्ता चक 1 लाख आरडी प.न. 30/351(35) किला न. 2/3/.003, 3/2/.012, 4/2/.012, 5/2/.012 है. गै.मु. रास्ता में विद्युत विभाग की डीपी लगी है यह रास्ता उत्तरी सीमा पर है प्रार्थी यह रास्ता दक्षिण दिशा में करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र में चुंकि राजीनामा हो चुका है एवं पूर्व में स्वीकृत रास्ता को प्रतिस्थापित करने हेतु सहमति हो चुकि है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर चक 1 लाख आरडी प.न. 30/351 किला न. 2/3/.003, 3/2/.012, 4/2/.012, 5/2/.012 है. गै.मु. रास्ता उत्तर दिशा से निरस्त किया जाता है निरस्त रास्ता चुकि अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा से स्वीकृत किया गया था इस लिए उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 लाल चन्द के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निरस्त रास्ता के स्थान पर प्रतिस्थापित रास्ता प.न. 30/351 मु.न. 35 किला न. 2/.0040, 3/.0159, 4/.0159, 5/.0159 में गैर मु. रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा दक्षिण सींव पर स्वीकृत किया जाता है। रास्ता के प्रतिकर के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 को स्वीकृत शुद्धा रास्ता की एवज में प.न. 30/351 मु.न. 35 किला न 2/1/.0127 है. पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 10/2/26 सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर पीलीबंगा